उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक /Ref. No.: 287 दिनांक /Date.: 17-7-2020

संवाद–45

त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पत्र व ईमेल के माध्यम से अभ्यर्थियों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा O.T.R. में त्रुटिपूर्ण जानकारियां दिये जाने के कारण आवेदन पत्र में भी त्रुटिपूर्ण जानकारी दर्ज हो गयी व आवेदन पत्र Submit हो गया है।

अभ्यर्थियों को अवगत कराना है कि यदि उनके द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने के उपरांत त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र Submit कर दिया गया है तो उसमें संशोधन किया जाना संभव नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र को CANCEL कर पुनः दोबारा आवेदन कर सकते है। इसके लिए आवेदन पत्र में ही CANCEL बटन दिया गया है। ऐसे CANCEL किये गये आवेदन पत्र का शुल्क वापस नहीं होगा।

आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण हो इसके लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पहले O.T.R. को सावधानीपूर्वक देख लें व उसे त्रुटिरहित कर दें उससे आवेदन पत्र स्वतः त्रुटिरहित हो जायगा यहां यह भी पुनः सूचित करना है कि O.T.R. के कुछ Fields जैसे नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि आदि को My Request विकल्प पर जाकर व Request भेजकर ही संशोधित किया जा सकता है।

आयोग द्वारा पूर्व में भी **'संवाद–17'** द्वारा अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि वे अपना O.T.R. User name व Password सुरक्षित रखें व समय–समय पर अपना O.T.R. भी अपडेट करते रहे जिससे की उन्हें भविष्य में आवेदन पत्र भरते समय किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो।

यहां यह भी अनुरोध है कि अब अगला आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपने O.T.R. का विवरण पुनः एक बार चेक कर लें व O.T.R. विवरण पूर्ण रूप से शुद्व व सही होंने पर ही अगला आवेदन पत्र भरें, क्योंकि O.T.R. में भरी गयी जानकारी ही आवेदन पत्र में स्वतः आयेगी।

17/7/2020

(संतोष बडोनी)
सचिव